

<b>RTI APPEAL DETAILS</b>	
<b>RTI Appeal Registration No. :</b>	PGCIL/A /E/20/00041
<b>RTI Appeal Received Date :</b>	05/09/2020
<b>RTI Request Registration No. :</b>	PGCIL/R /E/20/00280
<b>RTI Request Registration Date :</b>	01/08/2020
<b>Name :</b>	Rohit Tiwari
<b>Gender :</b>	Male
<b>Address :</b>	Village Doba bhagu post office gallagaon District Champawat Uttarakhand
<b>Pin Code :</b>	262524
<b>State :</b>	Uttarakhand
<b>Country :</b>	India
<b>Phone :</b>	+91-9758391642
<b>Mobile No :</b>	+91-9758391642
<b>Email :</b>	rtiwari54512@gmail.com
<b>Status :</b>	Rural
<b>Educational Status :</b>	
<b>Citizenship :</b>	Indian
<b>Is Appellant below poverty line ? :</b>	No
<b>CPIO of Public Authority Approached :</b>	20855
<b>CPIO's Order/Decision Date :</b>	Details not provided
<b>CPIO's Order/Decision No. :</b>	Details not provided
<b>Ground For Appeal :</b>	Provided Incomplete, Misleading or False Information
<b>Text of RTI First Appeal :</b>	To First appeal officers Powergrid corporation of india limited Subject- First appeal Sir Sir please Read the attached files and please take action immediately on it .

सेवा में

श्रीमान प्रथम अपील अधिकारी

पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

विषय- RTI Act 2005 के तहत मांगी गयी जानकारी छुपाने के सम्बन्ध में प्रथम अपील ।

RTI Registration Number- PGCIL/R/E/20/00280

अपील विरुध- जन सूचना अधिकारी

पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

उत्तरी क्षेत्र- तृतीय, लखनऊ

महोदय

आवेदक ने दिनांक 01/08/2020 को उपरोक्त जन सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी थी लेकिन उन्होंने प्रथम प्रश्न का उत्तर देने में बोला है की मांगी गयी जानकारी जन सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत नहीं आती है जबकि आवेदक द्वारा मांगी गयी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 का उल्लंघन नहीं करती है ।

अतएव महोदय से निवेदन है की आवेदक को प्रथम प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करे।

धन्यवाद

संलग्न - दी गयी जानकारी की छायाप्रति

भवदीय

रोहित तिवारी

संदर्भ: PGCIL/R/E/20/00280

दिनांक: 01.09.2020

सेवा में,  
श्री रोहित तिवारी  
ग्राम डोबा भागू  
पोस्ट ऑफिस - गल्लावांव  
बाराकोट, लोहाघाट  
जिला-चम्पावत, उत्तराखंड-262524

**विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत, आपके ऑनलाइन पत्र दिनांक 01.08.2020 के संबंध में**

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत, भेजा गया ऑनलाइन पत्र दिनांक 01.08.2020 को प्राप्त हुआ है। मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	स्व० नारायण दत्त तिवारी कर्मचारी संख्या 60000342 जो पावर ग्रिड के स्थायी कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु पावर ग्रिड में झूटी के दौरान पेट्रोलिंग करते हुए 03 जुलाई 2017 को (लोकेशन नंबर 29) धारचूला में हुई थी परन्तु 03 वर्ष गुजरने के उपरान्त भी मृतक आश्रित परिवार को नौकरी नहीं दी गयी है, जबकि PGCIL/R/E/20/00236, 27 जुलाई 2020, RTI के अनुसार नौकरी देने का प्रावधान है, अतः महोदय मृतक आश्रित परिवार को नौकरी क्यों नहीं दी गयी इस सम्बन्ध में जानकारी देने की कृपा करें।	मांगी गई जानकारी, जन सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के दायरे में नहीं आती।
02.	स्व० नारायण दत्त तिवारी के परिवार को पावर ग्रिड द्वारा दिये गये डेथ रिलीफ स्कीम, सम्पूर्ण दावे (क्लेम) विस्तारपूर्वक और अन्य दावे जो उनके परिवार को दिया जाना शेष हों तो उनकी सम्पूर्ण जानकारी नियमावली के अनुरूप देने की कृपा करें।	मांगी गई सूचना संलग्न है। (संलग्नक-क)

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**

श्री संजय गुप्ता  
कार्यपालक निदेशक,  
पावरग्रिड उ०क्षे० - 3  
12 राणा प्रताप मार्ग,  
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ - 226001

भतदीय,

*(संलग्नक-क)*  
01-09-20

[राणा प्रताप]  
महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)  
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,  
पावरग्रिड, लखनऊ